



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, मार्च 17—मार्च 23, 2019, शनिवार/फाल्गुन 26, 1940—चैत्र 2, 1941
No. 12] NEW DELHI, MARCH 17—MARCH 23, 2019, SATURDAY/PHALGUNA 26, 1940—CHAITRA 2, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

का.आ. 391.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री अमित चटर्जी (जन्म तिथि: 25.10.1954) को इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूको बैंक के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर पुनः नामित करती है।

[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 1st March, 2019

S.O. 391.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby re-nominates Shri Amit Chatterjee (DoB: 25.10.1954) as part-time non-official director on the Board of Directors of UCO Bank, for a period of one year from the date of this notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2018-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

का.आ. 392.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, डॉ. अर्चना रविन्द्रराय ढोलकिया (जन्म तिथि: 4.12.1955) को इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक आफ महाराष्ट्र के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर पुनः नामित करती है।

[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 1st March, 2019

S.O. 392.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby re-nominates Dr Archana Ravindrarai Dholakia (DoB: 4.12.1955) as part-time non-official director on the Board of Directors of Bank of Maharashtra, for a period of one year from the date of this notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2018-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

का.आ. 393.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, प्रो. (डॉ.) राधा आर. शर्मा (जन्म तिथि: 20.9.1955) को इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इलाहाबाद बैंक के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर पुनः नामित करती है।

[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 1st March, 2019

S.O. 393.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby re-nominates Prof. (Dr) Radha R. Sharma (DoB: 20.9.1955) as part-time non-official director on the Board of Directors of Allahabad Bank, for a period of one year from the date of this notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2018-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

का.आ. 394.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री एम. भगवंत राव (जन्म तिथि: 25.5.1954) को इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कार्पोरेशन बैंक के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर पुनः नामित करती है।

[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 1st March, 2019

S.O. 394.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, Central Government hereby re-nominates Shri M. Bhagavantha Rao (DoB: 25.5.1954) as part-time non-official director on the Board of Directors of Corporation Bank, for a period of one year from the date of this notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2018-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

का. आ. 395.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, डॉ. हसमुख अडिया (जन्म तिथि: 3.11.1958) को इस अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक आफ बड़ौदा के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/1/2019-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 1st March, 2019

S.O. 395.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby appoints Dr Hasmukh Adhia (DoB: 3.11.1958) as part-time non-official director as well as Non-executive Chairman on the Board of Bank of Baroda, for a period of three years from the date of this notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/1/2019-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019

का.आ. 396.—निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) की धारा 6 की उप-धारा 2 के खंड (ii) के साथ पठित धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अध्यक्ष श्री हर्ष कुमार भानवाला को अधिसूचना की तारीख से 17.12.2019 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के निदेशक मंडल में निदेशक के पद पर पुनः नामित करती है।

[फा. सं. 6/13/2012-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 8th March, 2019

S.O. 396.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 6 read with clause (ii) of sub-section (2) of section 6 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961), the Central Government hereby re-nominates Shri Harsh Kumar Bhanwala, Chairman, National Bank for Agriculture and Rural Development as Director on the Board of Directors of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation from the date of this notification and up to 17.12.2019 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/13/2012-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.